



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड,  
लो0नि0वि0, कालसी

Email:-  
eeprngsykalsi@rediffmail.com  
Tel:- 01360-275015

दिनांक: 15/09/2018

पत्र सं0: 1307/22सी  
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषय: जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण (लम्बाई 7.500 कि.मी.) हेतु 3.0835 हे0 हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भ: FP/UK/ROAD/34380/2018 दिनांक 26.06.2018 तथा इ.डी.एस आपत्ति दिनांक 10.07.2018।  
महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग की आपत्तियों का निराकरण निम्न अनुसार किया जा रहा है:

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1.	Some other documents uploaded at the place of justification, please upload justification at para-D (i) in form A, part I authenticated by DFO.	Other uploaded documents has been removed at para-D (i) in form A, part I authenticated by DFO.
2.	The user agency may do necessary correction and provide VLC proceeding for each village separately with separate attendance sheet according to filled details in B-2.3 village wise breakup.	Necessary correction has been made and village wise breakup detail has been filled separately in para B-2.3.
3.	In para -E of online part I, it is mentioned that permanent and temporary Employment for 10 person and 1500 person respectively, is likely to be generated which does not appears to be corrected.	Permanent and temporary Employment reviewed. Now 75 person and 800 person shown respectively.
4.	The village level committee (VLC) proceeding for each village separate with seprate attendance sheet according to filled details B -2.3 - village wise breakup along with FRA may also be provide and upload in Para K part I.	The point regarding VLC has already been corrected in Sl. No. 2 above. <i>Village wise breakup along with FRA has been uploaded in Para K part I.</i>
5.	Other document uploaded in the place of MoU at para- L- g in form A, part I please rectify accordingly.	Now MoU uploaded at Para K part I.
6.	Other document uploaded in the place of ownership at para- L -h in form A, part I please rectify accordingly.	Now rectified please.
7.	Required documents provided in additional information uploaded with check list format (attached herewith).	Required documents have been provided in additional information uploaded with check list format (copy attached).

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

पत्र सं0: /  
प्रतिलिपि:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, एफ.आर.आई., देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड  
लो0नि0वि0, कालसी  
दिनांक: /09/2018

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण (खण्ड, लो. नि. वि.,  
पी.एन.जी.एस.वाई., कालसी



(प्रपत्र-13(b))

## Justification of Land

इस मोटर मार्ग निर्माण होने से स्थाई/अस्थायी रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण अपनी दैनिक जरूरतों का सामान आदि लेने नजदीक के बाजार में आ जा सकेंगे। इस मोटर मार्ग से 1800 जनसंख्या संयोजित हो रही है। ग्रामीण खेतों में पैदा होने वाली उपज को किसी भी नजदीकी बाजार में ले जाकर बेच सकेंगे एवं इससे देश की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी होगी जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी। इस मोटर के निर्माण से उत्तराखण्ड के इस भाग में भी पर्यटन के अवसर पैदा होंगे जिससे स्थानीय निवासियों एवं सरकार की आमदनी होगी। इस गांव में यातायात की सुविधा न होने के कारण एवं सड़क न होने से बच्चें स्कूल न जाकर खेती-बाड़ी के कामों में लग जाते हैं। लेकिन मोटर मार्ग बनने स्थानीय बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। जिससे देश में निर्माण में भागीदारी निश्चित कर सके एवं शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी। इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मोटर मार्ग निर्माण से घर पर कार्य करने वाली गृहणी भी अपने घर का आवश्यक सामान आदि आसानी से उपलब्ध कराने में सक्षम होगी।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अक्सर आग लगने पर कम समय में आग पर काबू पा सकेंगे एवं यह मार्ग एक फायर लाइन का काम भी करेगी। मोटर मार्ग के निर्माण से वन विभाग अपनी वन सम्पदा की देख-रेख भी आसानी से कर सकेगा। यह एकमात्र समरेखण कम लम्बाई का है जिससे ग्राम डिरनाड जिनकी जनसंख्या को जोड़ा जा सकेगा तथा इस मोटर मार्ग से पिछड़े गांव के लोगों को देश की मुख्यधारा में लाया जा सकेगा। अतः इस मोटर के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिये वन भूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी।

अपर सहायक अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
नि0ख0 लो0नि0वि0  
कालसी

सहायक अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
नि0ख0 लो0नि0वि0,  
कालसी

अधिशाली अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई0  
नि0ख0 लो0नि0वि0  
कालसी

वन विभाग की अधिकारी  
बाबर खैर रंज  
डिरनाड / कण्डोला

वन विभाग की अधिकारी  
वन विभाग वन विभाग  
कालसी

प्रमोणीय वनाधिकारी  
वन विभाग वन प्रमाण  
कालसी (देवगढ़)

9/15/2018

Report Part 1

(xv). Fax No.: 01360275015

(xvi). Mobile No.: 9412013716

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:

**B. Details of land required for the Project**

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Chakrata	3.0835	3.383

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Dehradun	3.0835	3.383

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Dirmad	3.0835	3.383

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	For Road Work	3.0835	2.7855
2	For Muck Dumping	0	0.5975


**C. Maps of forest land proposed to be diverted**


Division 1. : Chakrata
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 3.0835
(ii). : Linear
(b). No. of Segments : One
Segment wise details




9/15/2018



Report Part 1

Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	3.0835	 <a href="#">View File</a>

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

for g. 3

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 75
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 800

F. Displacement of People due to the Project, if any.

- (i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

- (i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

- (i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No


I. Status of Wildlife Clearance

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

- (i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

- (i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: Yes
- (a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: 

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

- (i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes
- (ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No
- (iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1
- (iv). No. of patches: One

50

(प्रपत्र-30)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500किमी०)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 2.2320 है० आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि 1.6450 है० एवं सिविल भूमि 1.4385 है० प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आ०एफ०सी० केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०,  
कालसी

उपजिलाधिकारी

जिलाधिकारी  
देहरादून  
जिलाधिकारी  
देहरादून

पहिलदार



## प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।  
(लम्बाई-7.500 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- डिरनाड़

तहसील- त्यूनी, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.6450 है०, सिविल सोयम भूमि 1.4385 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 3.0835 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डिरनाड़ द्वारा दिनांक 02/11/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डिरनाड़ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० नि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई० कालसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत डिरनाड़  
खंड-चक्रवाती (देहरादून)

ग्राम प्रधान

मंगतराम प्रधान  
ग्राम पंचायत डिरनाड़  
खंड-चक्रवाती (देहरादून)



प्रपत्र-23.1

दिनांक - 02/11/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम- डिरनाड़

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जैन्दर सिंह	जैन्दर सिंह
2	बलराम	बलराम
3	हरपाल सिंह	हरपाल
4	रघवीर सिंह	रघवीर सिंह
5	ओगर सिंह	ओगर सिंह
6	दीवान सिंह	दीवान सिंह
7	जीत सिंह	जीत सिंह
8	सोहन सिंह	सोहन सिंह
9	बचन सिंह	बचन सिंह
10	रवीन्द सिंह	रवीन्द सिंह
11	तोला सिंह	तोला सिंह
12	अतर सिंह	अतर सिंह
13	विनोद सिंह	विनोद
14	सुरवीर सिंह	सुरवीर
15	रमेश सिंह	रमेश
16	परसराम	परसराम
17	प्रीतम	प्रीतम
18	महापाल सिंह	महापाल सिंह
19		
20		

प्रधान  
ग्राम पंचायत डिरनाड़  
वि०सं० चकराता (दि०दून)



## प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।  
(लम्बाई-7.500 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -त्यूनी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, त्यूनी

उपखण्ड त्यूनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 1.6450 है०, सिविल सोयम भूमि 1.4385 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है० अर्थात कुल 3.0835 है० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-त्यूनी) की दिनांक 06/04/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री हिनेश कुमार शर्मा, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- 1 श्री हिनेश कुमार शर्मा उपजिलाधिकारी..... अध्यक्ष
- 2 श्री रुवे श. कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी..... सदस्य
- 3 श्री मिहिरा लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी..... सदस्य/सचिव
- 4 श्री दीपिका लाल बी०डी०सी० क्षेत्र..... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 3.0835 है० वन भूमि (1.6450 आरक्षित वन भूमि एवं 1.4385 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।



संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड त्यूनी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 3.0835 है० वन भूमि (1.6450 है० आरक्षित वन भूमि एवं 1.4385 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।




उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- त्यूनी,  
जनपद-देहरादून

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- त्यूनी,  
जनपद-देहरादून

  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत फुनार  
वि०ख० चकराता, (देहरादून)

  
तहसीलदार  
त्यूनी

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून  
जनपद देहरादून


पत्रांक:- 203/CPD-DM-2018


दिनांक:- 23-6-18


वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 23/06/2018 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 3.0835 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-त्यूनी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यो द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी- त्यूनी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 3.0835 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के देवधार रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- त्यूनी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

  
(अनुराग सिंह)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून


  
(दीप चन्द्र आर्य)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रकारातः वन प्रभाग  
देहरादून

  
(एस0 ए0 मुरुगेशन)  
जिलाधिकारी, देहरादून  
जिलाधिकारी  
देहरादून

पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0 / दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, कालसी

  
(एस0 ए0 मुरुगेशन)  
जिलाधिकारी, देहरादून  
जिलाधिकारी  
देहरादून



OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE  
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes &  
Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. S. A. Murugesan , I.A.S. District Magistrate on Dated 23/06/18 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **3.0835 Hect** for the Construction of **Kathiyan to Dirnad** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Tyuni** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

  
District Magistrate  
District level Committee  
जिलाधिकारी  
देहरादून

57

**FORM-I**  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector

No.....

Dated..23/06/2018

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 3.0835 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Dehradun district falls within jurisdiction of Dirnad Village in Tyuni Tehsils.

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 3.0835 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

(Full name and official seal of the District Collector)

Signature  
जिलाधिकारी  
देहरादून



प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।  
(लम्बाई-7.500 कि०मी०)

**जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र**

जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड़ मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.0835 है० वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिनियम-2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह०.....

जिलाधिकारी, देहरादून

**जिलाधिकारी  
देहरादून**

## (प्रपत्र-43(a))

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500किमी०)

## क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित सिविल भूमि का विवरण

क्र० सं०	जिला	परगना	खत	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	भूमि का विवरण		
							खसरा न०	कुल क्षेत्रफल	अर्जित क्षेत्रफल
1	देहरादून	जौनसार बावर	—	त्यूनी	डिरनाड	0085	462	10.150	6.1700

वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल वन भूमि 6.170 है०।

अपर सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०  
कालसी

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०,  
कालसी

अधिशाली अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०  
कालसी

राजस्व निरीक्षक  
क्षेत्र डिरनाड  
तहसील त्यूनी

उपजिलाधिकारी  
त्यूनी

तहसीलदार  
त्यूनी

जिलाधिकारी  
देहरादून  
जिलाधिकारी  
देहरादून



(प्रपत्र-43)

कार्य का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-7.500किमी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.0835 है० है, के हस्तान्तरण हेतु दुगुने क्षेत्रफल 6.1700 है० अनवरत सिविल भूमि ग्राम डिरनाड में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०  
कालसी

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०,  
कालसी

अधिशायी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
नि०ख० लो०नि०वि०  
कालसी

राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र-डेहली  
तहसील-देहरादून

वन उप निरीक्षक  
बाबर  
देहरादून/डोला

उपजिलाधिकारी  
त्युनी

उप-प्रभागीय वन अधिकारी  
उप-प्रभागीय वन अधिकारी  
देहरादून

तहसीलदार  
त्युनी

प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वन अधिकारी  
देहरादून

जिलाधिकारी  
देहरादून

**FORM - A**

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

**PART - I**

(To be filled up by User Agency)

**A. General Details****A-1. Project Details**

- (i). **Proposal No.** : FP/UK/ROAD/34380/2018
- (ii). **Name of Project for which Forest Land is required** : Kathiyan to Dirnad Motor Road Under PMGSY
- (iii). **Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required** : Construction of Kathiyan to Dirnad Under PMGSY scheme of Length-7.500 Km. It will be served population of Dinnad (387)village connected.
- (iv). **State** : Uttarakhand
- (v). **Category of the Project** : Road
- (vi). **Shape of forest land proposed to be diverted** : Linear
- (vii). **Estimated cost of the Project(Rupees in lacs)** : 519.6
- (viii). **Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.)**: 3.0835
- (ix). **Non-Forest Land required for this project(in ha.)**: 3.383
- (x). **Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years)**: 99

**A-2. Details of User Agency**

- (i). **Name** : EXECUTIVE ENGINEER
- (ii). **Address1** : Construction division PWD haridwar headquarter kalsi
- (iii). **Address2** : NIL
- (iv). **State** : Uttarakhand
- (v). **District** : Dehradun
- (vi). **Pin** : 248001
- (vii). **Landmark** : NIL
- (viii). **Email address** : eepmgsykalsi@rediffmail.com
- (ix). **Landline Telephone No.** : 1360-275015
- (x). **Fax No.** : NIL
- (xi). **Mobile No.** : 9412013716
- (xii). **Website (if any)** : NIL
- (xiii). **Legal status of User Agency** : State Government


**A-3. Details of Person Making Application**

- (i). **First Name**: Rajesh
- (ii). **Middle Name**: NIL
- (iii). **Last Name**: kumar
- (iv). **Gender**: Male
- (v). **Designation**: executive engineer
- (vi). **Address 1**: Construction division PWD haridwar headquarter kalsi
- (vii). **Address 2**: NIL
- (viii). **State**: Uttarakhand
- (ix). **District**: Dehradun
- (x). **Tehsil**: Kalsi
- (xi). **Pin**: 248159
- (xii). **Landmark**: NIL
- (xiii). **Email Address**: eepmgsykalsi@rediffmail.com
- (xiv). **Landline Telephone No.**: 1360-275015



(xv). Fax No.: 01360275015

(xvi). Mobile No.: 9412013716

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: **B. Details of land required for the Project**

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Chakrata	3.0835	3.383

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Dehradun	3.0835	3.383

B-2.3 Village wise breakup


Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Dirmad	3.0835	3.383


B-2.4 Component wise breakup


Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	For Road Work	3.0835	2.7855
2	For Muck Dumping	0	0.5975

**C. Maps of forest land proposed to be diverted**

<p>Division 1. : Chakrata</p> <p>(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 3.0835</p> <p>(ii). : Linear</p> <p>(b). No. of Segments : One</p> <table border="1"> <tr> <th>Segment wise details</th> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Segment wise details	
Segment wise details		

Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	3.0835	 <a href="#">View File</a>

(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 

(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

(i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 

(ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes

(a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 75

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 800

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986?: No

I. Status of Wildlife Clearance


(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone?: No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area?: No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed?: Yes

(a). Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: 

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted?: No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1


(iv). No. of patches: One



District 1. : Dehradun

(a). Village: Dirnad

(b). Area(in ha.): 6.17



(c). Copy of KML file of the patch:  [View File](#)



(d). Khasra details: 462

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: 

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency:

(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land: (v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS  
ot Total Station: (vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of  
Compensatory Afforestation: Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		title Page
2		Check List
3		Report
4		fax Sheet
5		Bhag 1 to 5
6		Scheme G O
7		Joint Inspection Report
8		Side report by DFO
9		Land Schedule
10		Bar Chart
11		effected Tree List
12		Geological report
13		Task force and Manak Sarte
14		CA estimate and Road site Plantation certificate.
15		Nap land use certificate.
16		Muck Dumping Detail

17		NPB cost and Certificate
18		Minimum forest land Certificate
19		Other all Certificate

☐ [Print page](#)